



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक-8 बजट (1) 11/2025 175(A) आ०

दिनांक- 17 / 03 / 2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, मा० प्र० से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार।

सेवा में

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना,
शोध पदाधिकारी (पशु रोग),
पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष 2403 पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी, उपशीर्ष 0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2403001130001 के अन्तर्गत व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु तथा आवंटनादेश संख्या 113 (नि०) आ० दिनांक 31.12.2025 के क्रम में कुल ₹ 30,00,000/- (तीस लाख) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-2 के अधीन 2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष, 113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी उपशीर्ष 0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, विपत्र कोड - 02-2403001130001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये स्थायी योजना एवं स्थायी स्थापना के तहत दिया जा रहा है। इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.1998, 227/वि० दिनांक- 28.03.2025, 235/वि० दिनांक-01.04.2025 एवं 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों एवं कोर्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक-8 बजट (1) 11/2025 प0पा0 175 (अ) आ0/ पटना-15, दिनांक- 17/03/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या - टी0 ए0- 57 - 96-97-प0पा0-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट-3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.1999 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष 2403 - पशुपालन 113 - प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी - 0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या-02, विपत्र कोड-02-2403001130001 के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी:-

क्र० सं०	कूट संख्या एवं मद का नाम	राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना			पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा की स्थापना			कुल आवंटन		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0001.01 01 - वेतन	70062900	1600000	71662900	1159200	0	1159200	71222100	1600000	72822100
2	0001.01 03 - जीवन यापन भत्ता	41437800	1000000	42437800	753500	0	753500	42191300	1000000	43191300
3	0001.01 04 - मकान किराया भत्ता	13812600	400000	14212600	116000	0	116000	13928600	400000	14328600
4	0001.01 05 - परिवहन भत्ता	2874300	0	2874300	29700	0	29700	2904000	0	2904000
5	0001.01 06 - चिकित्सा भत्ता	984000	0	984000	12000	0	12000	996000	0	996000
6	0001.01 07 - अन्य भत्ता	2200	0	2200	0	0	0	2200	0	2200
	योग - 02-2403.00.113.0001.01- वेतन	129173800	3000000	132173800	2070400	0	2070400	131244200	3000000	134244200
7	06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1243000	0	1243000	0	0	0	1243000	0	1243000
8	0001.11 01 - यात्रा व्यय	1200000	0	1200000	0	0	0	1200000	0	1200000
9	0001.13 01 - कार्यालय व्यय	800000	0	800000	100000	0	100000	900000	0	900000
10	0001.13 03 - दूरभाष	80000	0	80000	0	0	0	80000	0	80000
11	0001.13.04-विद्युत प्रभार	1200000	0	1200000	20000	0	20000	1220000	0	1220000
12	0001.13 10 -भाड़े की गाड़ी का भुगतान	300000	0	300000	0	0	0	300000	0	300000
	योग - 02-2403.00.113.0001.13- कार्यालय व्यय	2380000	0	2380000	120000	0	120000	2500000	0	2500000
13	0001.14.01-किराया, महसूल एवं कर	175000	0	175000	400000	0	400000	575000	0	575000
14	0001.16.01-प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
15	0001.20.03-प्रशिक्षण व्यय	200000	0	200000	0	0	0	200000	0	200000
16	0001.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	500000	0	500000	0	0	0	500000	0	500000
17	0001.28.02-संविदा सेवारे	581000	0	581000	0	0	0	581000	0	581000
18	0001.52.01-मशीनें एवं उपस्कर	1000000	0	1000000	100000	0	100000	1100000	0	1100000
	योग - 02-2403.00.113.0001. राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना	136652800	3000000	139652800	2690400	0	2690400	139343200	3000000	142343200

₹30,00,000/- (तीस लाख) मात्र।

175 (सि०)
17/03/26.

निदेशक, पशुपालन।